

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

**उनवान**

1. श्री भगवानलाल पुत्र प्यारा जाति ब्राह्मण निवासी विठोली तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा न0 : 137 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 308**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादी का नाम भगा पुत्र प्यारा के बजाय भगा उर्फ भगवानलाल पिता प्यारा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

